

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 132वीं बैठक दिनांक 29.08.2008 में लिये गये निर्णय / सुझाव का विवरण।

क्र.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	132.1 कार्यकारी समिति की 131वीं बैठक दिनांक 18.07.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।		
2	132.2 जयिप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम कानोता तहसील बस्ती के खसरा नं. 996/171 रकबा 16 बिस्वा एवं खसरा नं. 172 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा अर्थात् 14163.50 वर्गमीटर है, जिस पर खसरा सपुर इम्पोज करने के पश्चात मोकै पर प्राप्त 13260.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (एक्कलेम होटल प्रालि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम कानोता तहसील बस्ती के खसरा नं. 996/171 रकबा 16 बिस्वा एवं खसरा नं. 172 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा अर्थात् 14163.50 वर्गमीटर है, जिस पर खसरा सपुर इम्पोज करने के पश्चात मोकै पर प्राप्त 13260.00 वर्गमीटर भूमि में से आने वाली 224.00 वर्गमीटर भूमि जयिप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर एवं प्लान्टेशन कोरीडोर की 420.00 वर्गमीटर तथा एच.टी.लाईन से प्रभावित 630.00 वर्गमीटर भूमि एवं कब्जे से बाहर 336.00 वर्गमीटर भूमि कम करने के पश्चात शेष 11650.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। रूपान्तरित भूमि के लिए सडक व अन्य सुविधा जयिप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जॉन-12	
3	132.3 जयिप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम दहमीखुर्द तहसील सागानेर के खसरा नं. 691/1, 662/815, 693/1 किता 3 रकबा 1.01 है 0 भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से औद्योगिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (अकिता रुकिम्स लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम दहमीखुर्द तहसील सागानेर के खसरा नं. 691/1, 662/815, 693/1 किता 3 रकबा 1.01 है 0 भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से औद्योगिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। रूपान्तरित भूमि के लिए सडक व अन्य सुविधा जयिप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जॉन-11	
4	132.4 जयिप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम महापुरा तहसील सागानेर के खसरा नं. 727, 1026, 610/7, 611/5, 611/4, 610/6, 608/2, 610/2, 733, 610/3, 610/4, 731/1, 730/2, 1884/730, 1885/731, 611/9, 605/4, 605, 608, 611, 605/3, 608/1, 610/1, 608/5, 611/8, 605/2, 611/2, 608/3, 611/6, 730, 606, 607, 609, 608/4, 611/7, 616, 617, 618, 621, 622, 625, 628, 746, 747, 732, 734, 735, 689, 614, 615, 619, 689/1852 कुल किता 52 रकबा 15.02 है 0 भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (लेण्ड मार्क एक्जिम प्रालि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम महापुरा तहसील सागानेर के खसरा नं. 727, 1026, 610/7, 611/5, 611/4, 610/6, 608/2, 610/2, 733, 610/3, 610/4, 731/1, 730/2, 1884/730, 1885/731, 611/9, 605/4, 605, 608, 611, 605/3, 608/1, 610/1, 608/5, 611/8, 605/2, 611/2, 608/3, 611/6, 730, 606, 607, 609, 608/4, 611/7, 616, 617, 618, 621, 622, 625, 628, 746, 747, 732, 734, 735, 689, 614, 615, 619, 689/1852 कुल किता 52 रकबा 15.02 है 0 भूमि में से 30मीटर सडक में निहित होने वाली 160 वर्गमीटर भूमि जयिप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 1500.40 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जॉन-11	
5	132.5 जयिप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम आमेर तहसील आमेर के खसरा नं. 5537 रकबा 0.19 है 0 व खसरा नं. 5538 रकबा 0.21 है 0 कुल किता 2 रकबा 0.40 है 0 (4783.33 वर्ग गज) भूमि जो पुराने आमेर रोड पर स्थित है का भू-उपयोग उपान्तरण रिक्रियेशनल से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने के संबंध में। (मोहन लाल शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम आमेर तहसील आमेर के खसरा नं. 5537 रकबा 0.19 है 0 व खसरा नं. 5538 रकबा 0.21 है 0 कुल किता 2 रकबा 0.40 है 0 (4783.33 वर्ग गज) भूमि जो पुराने आमेर रोड पर स्थित है का भू-उपयोग उपान्तरण रिक्रियेशनल से वाणिज्यिक (होटल) माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के अन्वधीन किये जाने का निर्णय लिया गया। आमेर विकास प्राधिकरण से एन.ओ.सी. प्राप्त की जावे प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण 1500 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जॉन-2	
6	132.6 भूखण्ड संख्या सी-96 गिरधारीपुरा पुनर्वास बस्ती, अजमेर रोड क्षेत्रफल 40.50 वर्गमीटर का स्वतः निरस्त आवंटन बहाल करने के संबंध में। (मीना कुमारी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या सी-96 गिरधारीपुरा पुनर्वास बस्ती, अजमेर रोड क्षेत्रफल 40.50 वर्गमीटर का स्वतः निरस्त आवंटन को ब्याज व पैनल्टी वसूल किये जाने के साथ बहाल करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में राशि 4 वर्ष की अधिक देरी से जमा हुई है। अतः स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जॉन-7	
7	132.7 भूखण्ड संख्या ए-24 गिरधारीपुरा पुनर्वास बस्ती, अजमेर रोड क्षेत्रफल 40.50 वर्गमीटर का स्वतः निरस्त आवंटन बहाल करने के संबंध में। (छोटू राम)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या ए-24 गिरधारीपुरा पुनर्वास बस्ती, अजमेर रोड क्षेत्रफल 40.50 वर्गमीटर का स्वतः निरस्त आवंटन को ब्याज व पैनल्टी वसूल किये जाने के साथ बहाल करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में राशि 5 वर्ष की अधिक देरी से जमा हुई है। अतः स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जॉन-7	

*(Handwritten signature)*

क्र.	ए.सं.	विषय	विवरण	निर्णय
8	132.8	वालमुकुन्दपुरा योजना में भूखण्ड संख्या बी-115 के नियमितकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से वालमुकुन्दपुरा योजना में भूखण्ड संख्या बी-115 के नियमितकरण को ब्याज व पैनल्टी वसूल किये जाने के साथ बहाल करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11
9	132.9	हरचन्दपुरा डेयरी योजना का भूखण्ड संख्या 203 बहाल कर अन्य रिक्त भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से हरचन्दपुरा डेयरी योजना का भूखण्ड संख्या 203 के पेटे राशि देरी से जमा होने के कारण ब्याज पैनल्टी सहित बहाल किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में उक्त भूखण्ड रिक्त नहीं होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटन के लिए प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निरस्तारण समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	उपायुक्त जोन-12
10	132.10	रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी-929 के नियमितकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी-929 के नियमितकरण को ब्याज व पैनल्टी वसूल किये जाने के साथ बहाल करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11
11	132.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित ज्योति जगजीवन गृ.नि.स.स. की योजना कल्याण कालोनी के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 20, 21, 22, 42, 43, 44, 45 क्षेत्रफल 1499.85 वर्गमीटर का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (विकास बिल्डिंग स्टेट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित ज्योति जगजीवन गृ.नि.स.स. की योजना कल्याण कालोनी के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 20, 21, 22, 42, 43, 44, 45 क्षेत्रफल 1499.85 वर्गमीटर का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड 1500 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से वाणिज्यिक उपयोग की स्वीकृति प्राप्त की जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-1
12	132.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 514, 515/1 व 515/2 किता 3 रकबा 0.98 है 0 भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक एवं खसरा नं. 524 कुल किता 1 रकबा 0.45 है 0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (प्रहलाद अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 514, 515/1 व 515/2 किता 3 रकबा 0.98 है 0 भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक एवं खसरा नं. 524 कुल किता 1 रकबा 0.45 है 0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-11
13	132.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम श्रीरामपुराबास तहसील जयपुर के खसरा नं. 63, 64, 102, 103 किता 4 कुल रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा अर्थात् 73094 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक (होटल) ख. नं. 105, 106, 107, 109 कुल किता 4 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा अर्थात् 23395 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से संस्थानिक तथा ख.नं. 54, 66, 67, 101, 105 से 109, 114 से 118 व 120/1 कुल किता 15 कुल रकबा 44 बीघा 15 बिस्वा अर्थात् 113181 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (राधागोहन, व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) जोन-12
14	132.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम श्रीरामपुराबास तहसील जयपुर के खसरा नं. 25, 26, 26/143, 27 से 31, 48 से 50, 54, 67, 68, 72, 73, 74, 78 से 83, 85 से 87, 89, 91, 92, 95 से 100, 124, 120/1, 120/2, 120/3, 30/142 कुल किता 40 कुल रकबा 113 बीघा 18 बिस्वा अर्थात् 288076.16 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (रामलाल व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) जोन-12
15	132.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम श्रीरामपुराबास तहसील जयपुर के खसरा नं. 1, 7 से 9, 11, 32 से 34, 36 से 41, 43, 44, 47, 48, 50, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 67, 69, 45/1, 45/2, 45/3 व 45/4 कुल किता 31 कुल रकबा 75 बीघा 17 बिस्वा अर्थात् 191840.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (नृसिंह व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) जोन-12
16	132.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम श्रीरामपुराबास तहसील जयपुर के खसरा नं. 30 से 33, 40, 41, 48, 49, 67 से 74, 77, 78, कुल किता 18 कुल रकबा 47 बीघा 5 बिस्वा अर्थात् 119504.8 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (नवरतन व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) जोन-12

*(Handwritten signature)*

ए.सं.	विषय	बेटक म तिय गय निगय/ सुआय	अधिकारी	रिपोर्ट	
17	132.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सागानेर के खसरा नं. 250/1762, 252, 253, 254/1761, 255/1760, 255, 256, 248, 249, 250, 254 किता 11 रकबा 4.685 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (प्रकाश चन्द कोटारी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील सागानेर के खसरा नं. 250/1762, 252, 253, 254/1761, 255/1760, 255, 256, 248, 249, 250, 254 किता 11 रकबा 4.685 है० भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग में निहित होने वाली 1269 वर्गमीटर तथा प्लांटेशन कोरीडोर में निहित होने वाली 7380 वर्गमीटर भूमि एवं अजमेर रोड से महापुरा को जाने वाली प्रस्तावित 200' सड़क में निहित होने वाली 3360.37 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात शेष 34840.63 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। रूपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-11	
18	132.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम कालवाड तहसील आमेर के खसरा नं. 853 से 859 कुल किता 7 कुल रकबा 1.70 है० अर्थात् 17000 वर्गमीटर भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 16992 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै. आदिनाथ हेरिटेज रिसोर्ट्स)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम कालवाड तहसील आमेर के खसरा नं. 853 से 859 कुल किता 7 कुल रकबा 1.70 है० अर्थात् 17000 वर्गमीटर भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 16992 वर्गमीटर भूमि में से प्लांटेशन कोरीडोर से प्रभावित 2660 वर्गमीटर, एच.टी.लाईन से प्रभावित 3325 वर्गमीटर भूमि कम करने एवं सड़क सीमा में आने वाली 1894 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात शेष 9313 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि भूखण्ड हेतु मूलभूत सुविधा अपने स्तर से की जावेगी, प्राधिकरण की मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-12	
19	132.19	ग्राम मुहाना तहसील सागानेर में स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हेतु भूमि अवाप्ति प्रस्तावों के कम में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम मुहाना तहसील सागानेर में स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हेतु भूमि अवाप्ति की जाने वाली भूमि की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-11	
20	132.20	ग्राम महापुरा तहसील सागानेर में राजकीय कार्यालयों हेतु भूमि अवाप्ति प्रस्तावों के कम में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील सागानेर में राजकीय कार्यालयों हेतु भूमि अवाप्ति की जाने वाली भूमि की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-11	
21	132.21	Approval of Counter offer rate for P/F of precast RCC box type culvert in JDA Area (ARC)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Zonal Engineer & TA द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस प्रकरण में प्राप्त शिकायत पर विचार किया गया, उसका कोई औचित्य नहीं पाया गया।	Zonal Engineer & TA	
22	132.22	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम निमैडा तहसील जयपुर के खसरा नं. 294, 296, 298, 302, 303 कुल किता 6 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा अर्थात् 72751.25 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (राधा गोविन्द बिल्ड एस्टेट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम निमैडा तहसील जयपुर के खसरा नं. 294, 296, 298, 302, 303 कुल किता 6 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा अर्थात् 72751.25 वर्गगज भूमि में से गैस पाईप लाईन से प्रभावित 350 वर्गगज भूमि कम करते हुये शेष 72401.25 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-12	
23	132.23	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भानपुर भाटावाला तहसील सागानेर के खसरा नं. 348 रकबा 0.12 है० अर्थात् 1200 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (मंजुषा गुप्ता)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम भानपुर भाटावाला तहसील सागानेर के खसरा नं. 348 रकबा 0.12 है० अर्थात् 1200 वर्गमीटर भूमि में से 60 फीट सड़क में आने वाली 196.0 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 1004 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। रूपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।	निदेशक (आयोजना) जोन-11	
24	132.24	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भानपुर भाटावाला तहसील सागानेर के खसरा नं. 347 रकबा 0.12 है० अर्थात् 1200 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (अतुल कुमार पाटनी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम भानपुर भाटावाला तहसील सागानेर के खसरा नं. 347 रकबा 0.12 है० अर्थात् 1200 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 196.0 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 1004 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। रूपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।	निदेशक (आयोजना) जोन-11	

ए.सं.	विषय			
25	132.25	जविप्रा क्षेत्र में स्थित छत्रपति गृनि.स.स. की योजना राठौड नगर के भू.सं. 165 क्षेत्रफल 350 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (आशुलोष बसल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से छत्रपति गृनि.स.स. की योजना राठौड नगर के भू.सं. 165 क्षेत्रफल 350 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड आग्रपाली रोड पर स्थित है, जो अधिसूचित व्यावसायिक हेतु 19 रोडों में से है।	निदेशक (आयोजना) जोन-7
26	132.26	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित नेशनल हाउसिंग कोर्पोरेटिव सोसायटी की योजना सुन्दर नगर के भूखण्ड संख्या 31 क्षेत्रफल 368.75 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (सुमन चौधरी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित नेशनल हाउसिंग कोर्पोरेटिव सोसायटी की योजना सुन्दर नगर के भूखण्ड संख्या 31 क्षेत्रफल 368.75 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड अधिसूचित व्यावसायिक हेतु 19 रोडों में से है।	निदेशक (आयोजना) जोन-1
27	132.27	Agenda Regarding Approval of tender for Rate Contract for P/L/J of lateral sewer line in JDA Jurisdiction Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियंता (पी.एच.ई.प्रथम) / सर्किल अभियंता (पी.एच.ई.) के प्रस्तावानुसार मैसर्स राजधानी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की दर पार्ट ए 25.91 प्रतिशत से अधिक (Above) एवं पार्ट बी 25.91 प्रतिशत से अधिक (Above) कुल राशी रु. 37724685.05 को स्वीकृत किया गया।	Zonal Engineer PHE- I/C.E. (PHE)
28	132.28	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ज्योति जगजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कल्याण कालोनी के पुर्नगठित भू.सं. 86 से 89 व 101 से 104 क्षेत्रफल 3049.22 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (ब्रज पलेट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ज्योति जगजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कल्याण कालोनी के पुर्नगठित भू.सं. 86 से 89 व 101 से 104 क्षेत्रफल 3049.22 वर्गगज का रोड की चौड़ाई के अनुसार नियमानुसार सैटबैक छोड़ने की शर्त पर भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का पर निर्णय लिया गया। भूखण्ड 1500 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से वाणिज्यिक उपयोग की स्वीकृति प्राप्त की जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-1
29	132.29	पार्थ नगर के भूखण्ड संख्या डी-916 के नियमितीकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पार्थ नगर के भूखण्ड संख्या डी-916 के नियमितीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11
30	132.30	Establishment of control room "Intergrated Jaipur Facilitation Centre" in the office of Director Local Bodies, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कार्य की अतिआवश्यकता को देखते हुये कार्यकारी समिति की 131 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 17 में निम्न संशोधन करने निर्णय लिया गया:- <b>After detailed discussion in the meeting of executive committee, it was decided that rather than making "The selection of the agency by DLB " as stated in point number 1 (Last line) of agenda by item, " Suitability of credentials of agency be judge by DLB."</b>	Zonal Engineer -1
31	132.31	जविप्रा क्षेत्र में स्थित छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राठौड नगर के भूखण्ड संख्या 164 वर्गगज क्षेत्रफल 248.88 वर्गगज अर्थात् 208.09 वर्गमीटर का भू-उपयोग रूपांतरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राठौड नगर के भूखण्ड संख्या 164 वर्गगज क्षेत्रफल 248.88 वर्गगज अर्थात् 208.09 वर्गमीटर का भू-उपयोग रूपांतरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड आग्रपाली रोड पर स्थित है, जो अधिसूचित व्यावसायिक हेतु 19 रोडों में से है।	उपायुक्त जोन-7
32	132.32	जविप्रा क्षेत्र में स्थित मालवीय नगर योजना के भूखण्ड संख्या डी-359 क्षेत्रफल 345.33 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (नरेश पारवानी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से मालवीय नगर योजना के भूखण्ड संख्या डी-359 क्षेत्रफल 345.33 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-1
33	132.33	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2039, 2040, 2041, 2044, 2045, 2046, 2048, 2049/2546, 2187, 2168 कुल किता 10 रकबा 2.77 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (रामचन्द्र अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2039, 2040, 2041, 2044, 2045, 2046, 2048, 2049/2546, 2187, 2168 कुल किता 10 रकबा 2.77 हैक्टर भूमि में से 200' सैक्टर रोड से प्रभावित 2537.50 वर्गमीटर व 100' व्यावसायिक भू-पट्टी से प्रभावित 3960 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 14302.50 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-11


				आधिकारी	रिपोर्ट
34	132.34	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम श्रीरामपुराबास भाकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 11, 13/128, 15, 19, 20, 21 कुल किता 6 रकबा 2.08 हेक्टर अर्थात् 20800 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (मरुगन्धा फार्मस प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम श्रीरामपुराबास भाकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 11, 13/128, 15, 19, 20, 21 कुल किता 6 रकबा 2.08 हेक्टर अर्थात् 20800 वर्गमीटर भूमि में से 200' सैक्टर रोड से प्रभावित 2537.50 वर्गमीटर व 100' व्यावसायिक भू-उपयोग से प्रभावित 3960 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 14302.50 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। रूपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-11	
35	132.35	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजरव ग्राम हरध्यानपुरा तहसील बस्ती के खसरा नं. 6, 7 व 14 कुल किता 3 कुल रकबा 58 बीघा 2 बिस्वा अर्थात् 175752.5 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (जगदम्बा अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम हरध्यानपुरा तहसील बस्ती के खसरा नं. 6, 7 व 14 कुल किता 3 कुल रकबा 58 बीघा 2 बिस्वा अर्थात् 175752.5 वर्गगज भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 8300 वर्गगज भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 164465.00 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। इस क्षेत्र का सैक्टर प्लान तैयार नहीं है, इस क्षेत्र का जब भी सैक्टर प्लान तैयार किया जावे जब मुख्य सड़क प्रस्तावित सड़क को 100' रखा जावे। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-12	
36	132.36	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित किसान गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना इन्कम टैक्स कालोनी के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या के-48, के-49, एल-3, एल-4 एवं एल-5 क्षेत्रफल 1361.08 वर्गगज का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (भागचन्द कोठारी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित किसान गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना इन्कम टैक्स कालोनी के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या के-48, के-49, एल-3, एल-4 एवं एल-5 क्षेत्रफल 1361.08 वर्गगज का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) जोन-4	
37	132.37	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम जैसत्या तहसील आमेर के खसरा नं. 164/9, 13, 14, 165/152 कुल किता 4 रकबा 1.08 हे० भूमि का भू-उपयोग ईकोलोजिकल से औद्योगिक किये जाने के संबंध में। (नन्द किशोर अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम जैसत्या तहसील आमेर के खसरा नं. 164/9, 13, 14, 165/152 कुल किता 4 रकबा 1.08 हे० भूमि का भू-उपयोग ईकोलोजिकल से औद्योगिक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के अध्यक्षीन एवं रीको से एन.ओ. सी. प्राप्त करने की शर्त पर किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) जोन-2	
<b>अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)</b>					
38	132.38	ग्राम खो नागोरियान, खो रेबारियान, भावगढ बन्धा तहसील सांगानेर में मल्होत्रा फार्म से दक्षिण की तरफ गोनेर रोड को जाने वाली 160 फीट सैक्टर रोड हेतु अवाप्ति प्रस्ताव की धारा 4(1) की कार्यवाही करने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम खो नागोरियान, खो रेबारियान, भावगढ बन्धा तहसील सांगानेर में मल्होत्रा फार्म से दक्षिण की तरफ गोनेर रोड को जाने वाली 160 फीट सैक्टर रोड हेतु भूमि अवाप्ति की जाने वाली भूमि की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-10	
39	132.39	ग्राम खो नागोरियान, उदयपुर गिलारिया तहसील सांगानेर में आर.टी.ओ. आफिस के दक्षिण की तरफ 160 फीट सैक्टर रोड हेतु अवाप्ति प्रस्ताव की धारा 4(1) की कार्यवाही करने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम खो नागोरियान, उदयपुर गिलारिया तहसील सांगानेर में आर.टी.ओ. आफिस के दक्षिण की तरफ 160 फीट सैक्टर रोड हेतु भूमि अवाप्ति की जाने वाली भूमि की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-10	
40	132.40	ग्राम खो नागोरियान, खो रेबारियान, टोडीरमजानीपुरा, उदयपुर गिलारिया तहसील सांगानेर में जगतपुरा इण्डुनी फाटक से खो नागोरियान होती हुई आगरा रोड को जाने वाली 160 फीट सैक्टर रोड हेतु अवाप्ति प्रस्ताव की धारा 4(1) की कार्यवाही करने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम खो नागोरियान, खो रेबारियान, टोडीरमजानीपुरा, उदयपुर गिलारिया तहसील सांगानेर में जगतपुरा इण्डुनी फाटक से खो नागोरियान होती हुई आगरा रोड को जाने वाली 160 फीट सैक्टर रोड हेतु भूमि अवाप्ति की जाने वाली भूमि की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-10	
41	132.41	लक्ष्मीनारायण विहार योजना के भूखण्ड संख्या ए-46 क्षेत्रफल 74.32 वर्ग मीटर की राशि देरी से जमा होने के कारण नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से लक्ष्मीनारायण विहार योजना के भूखण्ड संख्या ए-46 क्षेत्रफल 74.32 वर्ग मीटर की राशि देरी से जमा होने के कारण ब्याज पैनल्टी वसूल कर नियमितिकरण करने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये अनुरोध/ सुझाव	अधिकारी	रिपोर्ट	
42	132.42	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भांकरोटाकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2579, 2581, 2582, 2583/2804 कित्ता 4 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (राधेश्याम काबरा)	विचार विमर्श पर्याप्त सर्वसम्मति से ग्राम भांकरोटाकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2579, 2581, 2582, 2583/2804 कित्ता 4 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 243.75 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित की जानी होगी व सैक्टर रोड के सहारे व्यावसायिक भू-पट्टी में आने वाला 1357.75 वर्गमीटर छोड़ते हुये शेष 4898.50 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। रूपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-11	
43	132.43	आवासीय योजना हेतु ग्राम भटाटा, अजयगढ उर्फ हाडीकाबास तहसील जमवारामगढ एवं ग्राम कूकस तहसील आमेर के अवाप्त प्रस्ताव की धारा 4(1) की कार्यवाही करने के संबंध में।	विचार विमर्श पर्याप्त सर्वसम्मति से आवासीय योजना हेतु ग्राम भटाटा, अजयगढ उर्फ हाडीकाबास तहसील जमवारामगढ एवं ग्राम कूकस तहसील आमेर हेतु भूमि अवाप्त की जाने वाली भूमि की कार्यवाही की कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12	
44	132.44	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम हरध्यानपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 109/1, 623/106, 110/1, 624/109 कुल कित्ता 4 रकबा 2.1742 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से होटल (अन्य व्यावसायिक उपयोग हेतु नहीं) किये जाने के संबंध में। (मि. नन्दन लेण्ड शेपर्स प्रा. लि.)	विचार विमर्श पर्याप्त सर्वसम्मति से ग्राम हरध्यानपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 109/1, 623/106, 110/1, 624/109 कुल कित्ता 4 रकबा 2.1742 हैक्टर भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग में निहित होने वाली 1471.05 वर्गमीटर तथा 18 मीटर चौड़ी सड़क से प्रभावित 153.07 वर्गमीटर भूमि नि:शुल्क समर्पित करनी होगी तथा प्लान्टेशन कोरीडोर से प्रभावित 2157 वर्गमीटर भूमि छोड़ने के पर्याप्त शेष 1.7960 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से होटल (अन्य व्यावसायिक उपयोग हेतु नहीं) किये जाने का निर्णय लिया गया। रूपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-11	
45	132.45	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हनुमान नगर बी-के मुखण्ड संख्या बी-29 क्षेत्रफल 904 वर्गगज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (चन्द्र बल्लभ पांडे)	विचार विमर्श पर्याप्त सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हनुमान नगर बी-के मुखण्ड संख्या बी-29 क्षेत्रफल 904 वर्गगज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त मुखण्ड अधिसूचित व्यावसायिक हेतु 19 रोडों में से है। धारा 25 (1) की कार्यवाही मुखण्ड के सैटबैक पर किये हुये निर्माण को हटाने पर की जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-7	
46	132.46	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नांगल सुसावतान तहसील आमेर के खसरा नं. 40, 41, 42, 43/1, 44, 45, 110/1326, 111 कुल कित्ता 8 रकबा 1.79 हैक्टर (अर्थात् 17895.68 वर्गमीटर) भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (लक्ष्मीनारायण मीणा व अन्य)	विचार विमर्श पर्याप्त सर्वसम्मति से ग्राम नांगल सुसावतान तहसील आमेर के खसरा नं. 40, 41, 42, 43/1, 44, 45, 110/1326, 111 कुल कित्ता 8 रकबा 1.79 हैक्टर (अर्थात् 17895.68 वर्गमीटर) भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 1571.79 वर्गमीटर भूमि नि:शुल्क समर्पित करने एवं प्लान्टेशन कोरीडोर से प्रभावित 2999.64 वर्गमीटर व एच.टी. लाइन/एल.टी.लाइन से प्रभावित 2122.20 वर्गमीटर छोड़ते हुये शेष 11202.05 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से वाणिज्यिक (होटल) माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के अध्यक्षीन एवं मात्र होटल हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया, अन्य वाणिज्यिक उपयोग अनुज्ञेय नहीं है। रूपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-10	
47	132.47	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भांकरोटाकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 441 कित्ता 1 रकबा 0.85 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्रीमती इन्द्रावती)	विचार विमर्श पर्याप्त सर्वसम्मति से ग्राम भांकरोटाकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 441 कित्ता 1 रकबा 0.85 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-11	
48	132.48	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 519, 520, 521, 533, 534/2245 कुल कित्ता 5 रकबा 3.93 हैक्टर अर्थात् 39300 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (प्रभाती लाल व अन्य)	विचार विमर्श पर्याप्त सर्वसम्मति से ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 519, 520, 521, 533, 534/2245 कुल कित्ता 5 रकबा 3.93 हैक्टर अर्थात् 39300 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 5184.00 वर्गमीटर भूमि नि:शुल्क समर्पित करने तथा सैक्टर रोड के सहारे व्यावसायिक भू-पट्टी में निहित होने वाली 1560 वर्गमीटर भूमि कम करने के पर्याप्त शेष 32556 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। रूपान्तरित भूमि के लिए सड़क व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-11	

ए.सं.	विषय			
49	132.49	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम अजबगढ उर्फ हाडीकाबास तहसील जमवारामगढ के खसरा नम्बर 1 से 12, 12/87, 13 से 16, 17/1मिन, 17/2मिन, 17/3 मिन, 17/4मिन, 17/5मिन, 17/1, 18 से 26, 26/90, 27 से 37, 38मिन, 38/1, 39, 40 व 17/88 कुल किता 49 कुल रकबा 343 बीघा 11 बिस्वा एवं ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ के खसरा नम्बर 162, 163, 164/1, 164/2, 165 से 172, 174 से 178, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/861, 179/863, 181, 182, व 399 कुल किता 27 कुल रकबा 208 बीघा 8 बिस्वा इस प्रकार दोनों के कुल किता 76 कुल रकबा 551 बीघा 19 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग इकोलॉजिकल एवं औद्योगिक से आवासीय, वाणिज्यिक एवं अन्य नगरीय उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श परचात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। के प्राप्त आपत्तिका कारण प्रस्ताव वापस ले लिया गया। कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	(आयोजना) जोन-12
50	132.50	Construction of Under Ground Parking at Bus Badanpura withdrwal of remaining work under clause 32 of agreement.	विचार विमर्श परचात् सर्वसम्मति से Director (Engineer) के प्रस्तावानुसार एग्जिमेन्ट की धारा 32 के तहत शेष बचे हुये कार्य को वापिस (withdrawal) किये जाने का निर्णय लिया गया।	Director (Eng.)
51	132.51	Withdrawals of unexecuted part of work "Providing fixing and maintenance of overhead signages, bus shelters & foot bridge on roads of JDA region on BOT basis."	विचार विमर्श परचात् सर्वसम्मति से Zonal Engineer-7 के प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	Zonal Eng-7
52	132.52	सेन्ट्रल स्पाईन विद्यालयर नगर की 35 मी. चौडी सडक का विकास कार्य।	विचार विमर्श परचात् सर्वसम्मति से जानल अभियन्ता-2 के प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	जोनल अभियन्ता-2
53	132.53	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम सुखदेव पुरा उर्फ नाटाणीवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 28 से 46, 49, 51 से 55, 63, 31/92, 39/93, 13/94, 45/95 किता 30 रकबा 5.02 हैक्टर एवं ग्राम लक्ष्मीपुरा उर्फ नाटाणीवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 130 से 132 किता 3 रकबा 0.27 हैक्टर दोनो ग्रामों के कुल किता 33 रकबा 5.29 है 0 अर्थात 52900 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (हर्षित प्रोपर्टीज)	विचार विमर्श परचात् सर्वसम्मति से ग्राम सुखदेव पुरा उर्फ नाटाणीवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 28 से 46, 49, 51 से 55, 63, 31/92, 39/93, 13/94, 45/95 किता 30 रकबा 5.02 हैक्टर एवं ग्राम लक्ष्मीपुरा उर्फ नाटाणीवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 130 से 132 किता 3 रकबा 0.27 हैक्टर दोनो ग्रामों के कुल किता 33 रकबा 5.29 है 0 अर्थात 52900 वर्गमीटर भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग 12 में निहित होने वाली 535.24 वर्गमीटर व 60' चौडी सडक में निहित होने वाली 245.45 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क समर्पित करने तथा प्लान्टेशन कोरीडोर में निहित होने वाली 2181.65 वर्गमीटर भूमि छोडने के परचात् शेष 49937.86 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। रूपान्तरित भूमि के लिए सडक व अन्य सुविधा जविप्रा द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-11
54	132.54	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम कानोता तहसील बस्ती के खसरा नं. 709/1 व 987/702/2. किता 2 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा अर्थात 22257 वर्गमीटर भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर 20280 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (रूपनारायण पन्नालाल)	विचार विमर्श परचात् सर्वसम्मति से ग्राम कानोता तहसील बस्ती के खसरा नं. 709/1 व 987/702/2 किता 2 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा अर्थात 22257 वर्गमीटर भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर 20280 वर्गमीटर भूमि में से सडक सीमा में निहित होने वाली 3605 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 16674 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-12
55	132.55	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 616मिन 3287.28 वर्गगज, 597/1मिन रकबा 135.55 वर्गगज 612/1मिन रकबा 566.16 वर्गगज, 615/1मिन रकबा 1784.30 वर्गगज 617/1 रकबा 602.00 वर्गगज कुल रकबा 6375.26 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण औद्योगिक से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मै. सहारन आवास विकास प्रा.लि.)	विचार विमर्श परचात् सर्वसम्मति से ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 616मिन 3287.28 वर्गगज, 597/1मिन रकबा 135.55 वर्गगज 612/1मिन रकबा 566.16 वर्गगज, 615/1मिन रकबा 1784.30 वर्गगज 617/1 रकबा 602.00 वर्गगज कुल रकबा 6375.26 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण औद्योगिक से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-9


क्र.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
56	132.56	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम कानोता तहसील बरसी के खसरा नं. 990/702 रकबा 9 बीघा अर्थात् 23900 वर्गमीटर भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 21958 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (कानाराम)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम कानोता तहसील बरसी के खसरा नं. 990/702 रकबा 9 बीघा अर्थात् 23900 वर्गमीटर भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 21958 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा निहित होने वाली 720 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 21238 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-12	
57	132.57	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 50/1872, 51/1873/2, 70/1874, 72, 73, 70/1874/1, 72/1, 73/1, किता 8 रकबा 2.48 हैक्टर एवं ग्राम नृसिंहपुरा के खसरा नं. 106, 107, 107/557, 108, 108/570, 107/569, 643/105, 105, 644/104, 117, 118, 116, 367, 108/1 किता 14 रकबा 16.33 हैक्टर दोनों ग्रामों की कुल किता 22 रकबा 18.81 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मै. असंल विल्डवैल लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 50/1872, 51/1873/2, 70/1874, 72, 73, 70/1874/1, 72/1, 73/1, किता 8 रकबा 2.48 हैक्टर एवं ग्राम नृसिंहपुरा के खसरा नं. 106, 107, 107/557, 108, 108/570, 107/569, 643/105, 105, 644/104, 117, 118, 116, 367, 108/1 किता 14 रकबा 16.33 हैक्टर दोनों ग्रामों की कुल किता 22 रकबा 18.81 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-11	
58	132.58	अजमेर रोड पर ग्राम हरचन्द्रपुरा देवलिया व पालडी परसा तहसील सांगानेर में नवीन आवासीय योजना के अन्तर्गत आ रही निजी खातेदारी की भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव के कम में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम हरचन्द्रपुरा देवलिया व पालडी परसा तहसील सांगानेर में नवीन आवासीय योजना के अन्तर्गत आ रही निजी खातेदारी की भूमि अवाप्ति की जाने वाली भूमि की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-11	

नोट :- 1. जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आवंटित भूखण्डों में देरी से जमा नजराना राशि के संबंध में निदेशक (वित्त) द्वारा एक कमेटी गठित कर नियमन किये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया, कमेटी के सुझाव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

  
सदस्य सचिव,  
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 132वीं बैठक दिनांक 29.08.08 को प्रात 11.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री अशोक जैन, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-


क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	
1	श्री अशोक जैन	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री रामनिवास गौणा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री एस.सी. महागावकर	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्रीमती कौमुदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एस.सी. सोनी	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री एस.के. पंचोली	निदेशक (प्रोग. रट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री एम.एल. गौणा	ए.सी.ई.	पीडब्ल्यूडी	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री जे.आर. भादू	अति. जिला कलेक्टर	कलेक्टर (सिटी)	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री अशोक शर्मा	उप पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक मुख्यालय	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री राजेन्द्र विजय	उप महाप्रबन्धक	आर.टी.डी.सी.	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री मुकेश नितलल	उप नगर नियोजन	रिको	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
12	श्री एच.एस. भारद्वाज	अति.आयुक्त (पश्चिम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री विनोद कुमार जैन	अति.आयुक्त (एलपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री मोहन टोरी	एस.टी.पी. (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री एन.सी. माथुर	अति. मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड	उपायुक्त जोन-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री गिरराज अग्रवाल	उपायुक्त जोन-4	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री एस. नित्रा	उपायुक्त जोन-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री राजपाल सिंह	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	डा. बी.डी. कुमावत	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री देवराम सेनी	उपायुक्त जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री सुखवीर सेनी	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23	श्री प्रभात गोस्वामी	ओ.एस.डी. (पी.आर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

  
सचिव,  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी / प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व / पश्चिम / प्रशासन / एल.पी.सी / भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम) / अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

  
सचिव  
जविप्रा, जयपुर